रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीली अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 1195/ 2007

राजस्थान राज्य और अन्य .... अपीलार्थीगण

बनाम

सी. पी. सिंह और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

सेवा कानून - सेवानिवृत्ति - सेवानिवृत्ति की आयु - का निर्धारण - लागू नियम - प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रारंभिक रूप से अजमेर राज्य में नियुक्त हुआ और केंद्रीय सिविल सेवा विनियमों द्वारा शासित - अजमेर राज्य वर्ष 1956 में राजस्थान राज्य के साथ एकीकृत हुआ, जिसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 को राजस्थान राज्य की सेवाओं में आमेलित किया गया - प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 1957 के नियमों के नियम 11 के तहत विकल्प का प्रयोग किया और अवकाश और पेंशन के संबंध में नियत दिन से ठीक पहले उस पर लागू होने वाले नियमों यानी केंद्रीय सिविल सेवा विनियमों द्वारा शासित होने का विकल्प चुना- हालांकि, 1974 में, प्रत्यर्थी संख्या 1 को 1951 के सेवा नियमों के तहत 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर

सेवानिवृत्त किया गया - क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 58 वर्ष की आयु, यानी सेवानिवृत्ति की आयु केंद्रीय सिविल सेवा विनियमों के अनुसार, तक सेवा में बने रहने का हकदार है- अभिनिर्धारित किया गया: चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने संपूर्ण रूप से केंद्रीय सिविल सेवा विनियमों का विकल्प चुना था, उसके सेवानिवृत्ति लाभों को उक्त विनियमों में निहित प्रावधानों द्वारा शासित किया जाना था, जिसमें संबंधित तिथि पर सेवानिवृत्ति की आयु भी शामिल थी, जब वह सेवानिवृत्त हो सकता था - एक बार जब राजस्थान राज्य ने, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 1 को सेवानिवृत्ति की किसी विशेष आयु तक सीमित न रहकर बल्कि विनियमों और 1951 के नियमों के बीच चुनाव करने का विकल्प दिया, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 को वर्ष 1962 में किए गए विनियमों में संशोधन के कारण सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु के लाभों से बाद में वंचित नहीं किया जा सकता है, जब प्रत्यर्थी संख्या 1 अभी भी सेवा में था- विनियमों में संशोधन के बाद, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कानूनी रूप से 58 वर्ष हो गई - केन्द्रीय सिविल सेवा विनियम राजस्थान सेवा नियम, 1951- राजस्थान सेवा (सेवा शर्तों का संरक्षण) नियम, 1957- नियम 11।

निर्णय

शिव कीर्ति सिंह, न्यायाधीश

1. राजस्थान राज्य द्वारा एस.बी. सिविल द्वितीय अपील संख्या 136/1995 में दिनांक 19/3/2004 के निर्णय और आदेश को चुनौती देने

के लिए यह सिविल अपील की गयी है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील की अनुमति दी, विचारण न्यायालय और प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त किया और प्रत्यर्थी संख्या 1 (वादी) के वाद की डिक्री इस निष्कर्ष के साथ की कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को 55 वर्ष की आयु में 19.6.1974 को अवैध रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया, जैसा कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 (इसके पश्चात '1951 के नियम' के रूप में संदर्भित) के तहत निर्धारित किया गया है। उच्च न्यायालय ने यह भी घोषणा की है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 (वादी) 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का हकदार था, अर्थात् केंद्रीय सिविल सेवा विनियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु (इसके पश्चात 'विनियम' के रूप में संदर्भित)। परिणामी लाभ जैसे वेतन, वृद्धि और अन्य सेवा लाभ भी प्रतिवादी संख्या 1 (वादी) को प्रदान किए गए हैं।

2. इस अपील में उठाए गए मुद्दे का निर्णय करने के लिए प्रासंगिक तथ्य विवाद में नहीं हैं जैसा कि इसमें इसके बाद इंगित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 (वादी) को शुरू में अजमेर राज्य में नियुक्त किया गया था और विनियमों में सेवा शर्तों द्वारा शासित था। दिनांक 01.11.1956 से राजस्थान राज्य के साथ इसके एकीकरण होने तक अजमेर राज्य केंद्र प्रशासित 'भाग' सी 'राज्य था। प्रत्यर्थी संख्या 1 को उस तारीख से गन्ना विकास सहायक के रूप में राजस्थान राज्य की सेवाओं में आमेलित किया गया था। इस प्रकार, पुनर्गठन के समय उनकी सेवा आम तौर पर 1951

के नियमों द्वारा शासित होती थी। जैसा कि इन नियमों के तहत प्रावधान किया गया है, प्रत्यर्थी संख्या 1 को 19.6.1974 को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त किया गया था।

3. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जयपुर में मुकदमा संख्या 89/1976 दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि वह 55 वर्ष की आयु में अवैध रूप से सेवानिवृत्त किया गया था और उसने एक डिक्री की भी मांग की कि वह विनियमों के तहत 30.6.1977 तक सेवा में बने रहने का हकदार है और वह वेतन, वृद्धि, वरिष्ठता, पदोन्नति, आदि के पारिणामिक लाभों का हकदार है। राजस्थान राज्य द्वारा किए गए मुकदमे पर, वाद को इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 (वादी) की सेवाएं 1951 के नियमों द्वारा शासित थीं, जिसमे सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष निर्धारित की थी।

4. तथ्यों पर, मुकदमे के किसी भी चरण में कोई विवाद नहीं था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 राजस्थान सेवा (सेवा शर्तों का संरक्षण) नियम, 1957 (इसके पश्चात '1957 के नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 11 के तहत विकल्प का प्रयोग करने का हकदार था और उसने उस विकल्प का प्रयोग किया और छुट्टी और पेंशन के संबंध में नियत दिन से ठीक पहले उस पर लागू होने वाले नियमों, यानी 1951 के नियमों के स्थान पर विनियमों द्वारा शासित होना चुना। नियम 11 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

"11. अवकाश और पेंशन नियम- जहां तक आवकाश और पेंशन का संबंध है, कोई भी सरकारी कर्मचारी राजस्थान सेवा नियम, 1951 में शामिल नियमों या नियत दिन से ठीक पहले अपने लिए लागू नियमों को चुनने का विकल्प चुन सकता है। ... ..."

5. तथापि, विद्वान मुंसिफ का विचार था कि वादी द्वारा दिया गया विकल्प केवल अवकाश और पेंशन से संबंधित था न कि सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की आयु से। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि नियम 11 की शुरुआत इन शब्दों से होती है - "छुट्टी और पेंशन के संबंध में" और "सेवानिवृत्ति की आयु"- का उल्लेख नहीं है।

6. प्रत्यर्थी संख्या 1 की नियमित प्रथम अपील सं. 192/1980 विद्वत जिला न्यायाधीश, जयपुर शहर, जयपुर द्वारा 17.12.1994 को खारिज कर दी गई और विचारण न्यायालय का मत कायम रखा गया।हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर की गई दूसरी अपील को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.3.2004 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी।

7. अपील के तहत निर्णय और आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक तथ्यों पर सही ढंग से ध्यान दिया है और, स्वीकृत तथ्यों के आधार पर, विधि के प्रश्न का निर्णय प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में किया, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या

1(वादी) द्वारा अवकाश और पेंशन के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले विकल्प के कारण पेंशन से संबंधित उसकी सेवा शर्तों के लिए विनियम लागू किए गए हैं, और इसलिए, उसे 1951 के नियमों में पेंशन के संबंध में सेवा शर्तों के आधार पर सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से ठीक पहले, अर्थात् 30.10.1956, विनियमों के तहत सेवानिवृत्ति की आयु भी 55 वर्ष थी, लेकिन वर्ष 1962 में संशोधन के कारण इसे बढ़ाकर 58 वर्ष कर दिया गया था और इसलिए, वर्ष 1974 में जब राजस्थान राज्य ने सेवानिवृत्ति के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले पर विचार करने का फैसला किया उसे उस तारीख पर मौजूद विनियमों के प्रावधानों का लाभ दिया जाना चाहिए था न कि 1951 के नियमों के प्रावधानों का।

8. अपीलार्थियों की ओर से, सामान्य तर्क यह है कि नियम 1957 के नियमों के नियम 11 के तहत विकल्प केवल विनियमों के तहत पेंशन के लाभों तक ही सीमित होना चाहिए न कि सेवानिवृत्ति की आयु तक।दूसरे शब्दों में, वह आयु जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 को विनियमों के तहत सेवानिवृत्त किया जाना था, उसे नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए था और इस उद्देश्य के लिए केवल 1951 के नियमों में सेवानिवृत्ति की आयु को ही लागू माना जाना चाहिए था। विकल्प में, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि विनियमों के तहत राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से ठीक पहले सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष थी, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को वर्ष 1962

में किए गए विनियमों में संशोधन के कारण सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु का लाभ देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 115 की उप-धारा (7) के परंतुक ने नियत दिन से ठीक पहले लागू सेवा की शर्तों को संरक्षित किया और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उन्हें प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रतिकूल नहीं किया जा सकता था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि 1957 के नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 117 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत बनाए गए थे और अवकाश व पेंशन नियमों के संबंध में नियम 11 के तहत विकल्प नियुक्त दिन से ठीक पहले प्रत्यर्थी संख्या 1 पर लागू सेवा की शर्तों का संरक्षण करने के माध्यम से था। एक बार जब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने विकल्प का उपयोग किया और नियत दिन से ठीक पहले उस पर लागू होने वाली पेंशन से संबंधित नियमों द्वारा शासित होने के विकल्प को चुना, अर्थात विनियम, समय-समय पर संशोधित विनियमों के अनुसार अन्य पेंशन संबंधी प्रावधानों की तरह विनियमों के तहत निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु उस पर लागू होगी, जो कि वर्ष 1962 से 58 वर्ष हो गई।

10. प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने पर, हम प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले में योग्यता पाते हैं क्योंकि राजस्थान राज्य ने स्वयं 1957 के

नियम बनाए और प्रत्यर्थी संख्या 1 को या तो नियत दिन से ठीक पहले लागू नियमों द्वारा शासित होने के लिए या अवकाश और पेंशन के संबंध में राजस्थान सेवा नियम, 1951 द्वारा शासित होने के लिए विस्तृत और व्यापक विकल्प दिया। यह विकल्प पेंशन से संबंधित विनियमों या राजस्थान सेवा नियम, 1951 के किसी विशिष्ट प्रावधान तक सीमित नहीं था। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने समग्र रूप से विनियमों का विकल्प चुना था, इसलिए उसके सेवानिवृत्ति लाभों को विनियमों में निहित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाना था, जिसमें संबंधित तिथि पर लागू सेवानिवृत्ति की उम्र भी शामिल थी जब वह सेवानिवृत्त हो सकता था। उसके अन्य पेंशन संबंधी लाभ भी उसमें किए गए संशोधनों सहित विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे और इस बाद के पहलू पर कोई विवाद नहीं है।

11. यदि अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत किए गए निवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है और यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि 30.10.1956 को विनियमों में उल्लिखित सेवानिवृत्ति की आयु प्रत्यर्थी संख्या 1 जैसे व्यक्तियों को शासित करेगी और 1962 के संशोधन के बाद किसी भी विकल्प से स्वतंत्र रूप से विनियमों द्वारा शासित अन्य लोगों की सेवानिवृत्ति की आयु भिन्न होगी, जिससे असमानता के साथ-साथ उन व्यक्तियों के बीच समानता से इनकार होगा जो स्वीकार्य रूप से विनियमों द्वारा शासित हैं। यह कहना अनुचित होगा कि चूंकि कर्मचारियों के एक

वर्ग ने विनियमों का विकल्प चुना था, इसलिए उन्हें इसके संशोधनों का लाभ नहीं मिलेगा और वे 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जबकि कर्मचारियों के एक अन्य वर्ग को वर्ष 1962 में संशोधन के कारण 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने का लाभ मिलेगा।

12. 1957 के नियमों के नियम 11 के शब्दों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन भी ऊपर उपदर्शित निष्कर्षों का समर्थन करता है। नियत दिन से ठीक पहले कर्मचारी पर लागू होने वाले नियमों के विकल्प में कोई प्रतिबंध नहीं है कि ऐसे नियमों का विकल्प सेवानिवृत्ति की आयु के लिए प्रदान करने वाले को छोड़कर या केवल किसी विशेष दिन पर लागू होगा। खंड 'उस पर लागू नियम' के बाद आने वाला खंड 'नियत दिन से ठीक पहले' स्पष्ट रूप से 'लागू' शब्द से संबंधित है और इसे नियत दिन से पहले 'मौजूदा' नियमों के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। चयनित नियमों को किन्हीं अच्छे कारणों से नियत दिन पर पूर्व में मौजूद प्रावधानों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है ताकि संबंधित कर्मचारी की सेवा के दौरान ऐसे नियमों में किए गए किसी भी संशोधन को अपवर्जित किया जा सके। वास्तव में, चयनित पेंशन नियम भविष्य में भी संबंधित कर्मचारी को शासित करने के लिए हैं। यदि 1951 के नियम उस संबंधित कर्मचारी पर लागू होंगे जो भविष्य में किए गए संशोधनों के साथ इसका विकल्प चुनता हैं, तो इस दृष्टि से कोई तर्कसंगतता नहीं हो सकती है कि नियत दिन से पहले लागू होने वाले अन्य नियम लागू होंगे, लेकिन बिना किसी संशोधन

के, भले ही संशोधन इसका चयन करने वाले कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान किए जाते हैं।

13. अपीलार्थी- राजस्थान राज्य अपने तर्क में सही हो सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की खंड 115 की उपखंड (7) के परंतुक से प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं मिलती है क्योंकि विनियमों के तहत नियत दिन से पहले सेवानिवृत्ति की आयु केवल 55 वर्ष थी और इसमें उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि, एक बार जब राजस्थान राज्य ने, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 1 को सेवानिवृत्ति की किसी विशेष आयु तक सीमित न रहकर बल्कि विनियमों और 1951 के नियमों के बीच चुनाव करने का विकल्प दिया, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 को वर्ष 1962 में किए गए विनियमों में संशोधन के कारण सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु के लाभों से बाद में वंचित नहीं किया जा सकता है, जब प्रत्यर्थी संख्या 1 अभी भी सेवा में था।विनियमों में उस संशोधन के बाद, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कानूनी रूप से 58 वर्ष हो गई। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उच्च न्यायालय के विपरीत दृष्टिकोण अपनाने का कोई अच्छा कारण नहीं है जिसने द्वितीय अपील में शामिल विधि के सारवान प्रश्न का उचित और सही उत्तर दिया है।

14. मामले के तथ्यों में, हम सिविल अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है लेकिन बिना लागत के।

न्यायाधीश [अनिल आर दवे]

न्यायाधीश [शिव कीर्ति सिंह]

नई दिल्ली;

04 अप्रैल, 2014

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।)

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।